

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1237/2010/जयपुर

मैसर्स पुष्पक बुलियन्स प्रा.लि.,
93,मुलेश्वर रोड, मुम्बई
बनाम्
सहायक आयुक्त,
वृत्त-ए, जयपुर

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :25.07.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 31/आरएसटी/ए/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12.03.2007 के द्वारा रु. 7,23,150/- की मांग सृजित की है, के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने सृजित मांग को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या प.4(67)वित्त/कर/2004-43 दिनांक 12.07.2004 के अन्तर्गत बुलियन एवं सर्राफा व्यवहारियों के लिए घोषित प्रशमन योजना, 2004 के अन्तर्गत प्रशमन राशि चुकाने का विकल्प लेने हेतु दिनांक 27.04.2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आलोच्य अवधि 2004-05 में वार्षिक टर्नओवर 15 लाख से 25 लाख रु. की सीमा में रहने का अनुमान लगाया जिसके लिए विहित प्रशमन राशि रु. 10,000/- दिनांक 19.07.2004 को राजकोष में जमा करवाने पर प्रशमन प्रमाण पत्र सीएस 2004 दिनांक 27.04.2004 को जारी किया गया। दिनांक 25.11.2004 को व्यवहारी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रशमन योजना से विदग्ध करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि विभिन्न एजेन्सियों से सम्पर्क करने के बावजूद उन्हें सोना चांदी खरीदने में सफलता नहीं मिली। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 की शर्त संख्या 7 में दी गई शर्तों के अनुसार एक बार प्रशमन का विकल्प अपनाने के उपरान्त ऐसे विकल्प को उसी

२४२

११५

वित्तीय वर्ष में वापस लेने के लिए अधिकृत नहीं होने के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करने हुए आलोच्य अवधि में राशि रू. 500589500/-की सकल बिक्री के आधार पर वार्षिक प्रशमन राशि रू. 6,00,000/- मानते हुए ब्याज राशि रू. 1,33,150/- इस प्रकार कुल दायित्व 7,33,150/-मानते हुए अग्रिम कर जमा राशि रू. 10,000/- कम करने पर शेष वसूली योग्य राशि रू.7,23,150/-निर्णय दिनांक 13.03.2007 द्वारा निर्धारित की गई। व्यवहारी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2010 द्वारा अपील इस आधार पर खारिज की कि व्यवहारी द्वारा प्रशमन योजना का विकल्प अपनाने एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे विकल्प की स्वीकृति सूचक प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त अपीलार्थी व्यवहारी योजना की समस्त शर्तों के लिए विधिक रूप से आबद्ध है तथा योजना के तहत प्रशमन राशि व समयावधि में जमा कराना उसका विधिक दायित्व है। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.01.2010 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत माननीय कर बोर्ड के समक्ष व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक कथन किया गया कि गोल्ड बुलियन पर प्रथम बिन्दु पर ही कर देयता है। प्रथम विकेता पी ई सी लिमिटेड और एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड के द्वारा प्रथम बिन्दु पर रजिस्टर्ड डीलर के तौर पर कर दिये जाने के कारण आगे अपीलार्थी पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी ने इस बिन्दु पर विचार किये बिना ही निर्णय पारित किया है तथा अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत द्वारका ज्वैलर्स, जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 14.11.2006 का उल्लेख करते हुए कथन किया कि अधिनियम की धारा 2(42) के अन्तर्गत प्रथम बिन्दु पर ही कर आरोपित किया जा सकता। राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 15 के अन्तर्गत बुलियन पर प्रथम बिन्दु पर कर देयता है जिससे अपीलार्थी पर कोई कर निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त किया जावे।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 के अन्तर्गत अपीलार्थी व्यवहारी ने स्वेच्छा से विकल्प के रूप में प्रशमन योजना का विकल्प लिया गया है तथा इस योजना के अन्तर्गत शर्त संख्या 7.4 के अनुसार पुनः विदग्ना नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कथन किया कि जहां तक बुलियन पर प्रथम बिन्दु पर कर देयता का बिन्दु है इसका प्रभाव प्रशमन योजना के सम्बन्ध में नहीं माना जा सकता है क्योंकि व्यवहारी ने स्वेच्छा से इस योजना को अपनाने के कारण यह बिन्दु गौण है कि

शर

शर

अपीलार्थी इसके पश्चात कहा से माल खरीदता है । अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि-सम्मत है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया, उपलब्ध रिकार्ड एवं विधिक प्रावधानों का परिशीलन किया। विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2004 द्वारा प्रशमन योजना का विकल्प लिया गया है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2004 के द्वारा इसे विदग्ध करने की अनुमति चाही है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 का बिन्दु संख्या 5.1 निम्न प्रकार है :-

“A registered dealer opting for this scheme shall submit an application on a plain paper, to his assessing authority within thirty days of the commencement of the year stating therein the name, address, status, registration number, gross annual turnover of immediately preceding year, paid in the immediately preceding year and such other information as may be relevant for the implementation of this scheme. However, for the year 2004-2005, such application may be submitted within thirty days of the date of publication of this notification.”

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान वैकल्पिक है तथा व्यवहारी ने विकल्प के रूप में इस प्रावधान के रूप में प्रशमन का विकल्प लिया है। उपरोक्त अधिसूचना का बिन्दु संख्या 7.4 निम्न प्रकार है:-

“Once the dealer has exercised his option for the Composition Scheme, the dealer during the composition period shall not be entitled to opt out of the scheme for a part of a financial year. If any dealer wishes to opt out of the scheme in the subsequent years, he shall have to inform the assessing authority of his intention of doing so 30 days prior to the 1st day of April of such subsequent financial year.”

इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि एक बार प्रशमन का विकल्प ले लिया है तो उसी वित्तीय वर्षा में विदग्ध नहीं कर सकता है।

7. अपीलार्थी द्वारा अपील में लिये गये इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत गोल्ड बुलियन पर प्रथम बिन्दु पर कर देयता है, तथा अपीलार्थी द्वारा प्रथम विक्रेता पी ई सी लिमिटेड तथा एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड से माल क्रय किया गया है जो कि दोनों ही रजिस्टर्ड डीलर है तथा जिन्होंने प्रथम बिन्दु पर कर दिया है जिससे अपीलार्थी की कोई कर देयता नहीं बनती है।

यह सही है कि अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम बिन्दु पर कर देयता नहीं बनती है तथा प्रथम बिन्दु पर कर दे दिया जाता है तो आगे पुनः कर देयता नहीं बनती है परन्तु अपीलार्थी ने स्वेच्छा से प्रशमन का विकल्प लिया है तो उस पर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है। यदि अपीलार्थी द्वारा प्रशमन का विकल्प नहीं लिया गया होता तो अपीलार्थी द्वारा ऐसे विक्रेता से माल क्रय किया जाता जिसमें प्रथम बिन्दु पर कर दे दिया गया है तो

२०२

अपीलार्थी पर कोई कर देयता नहीं मानी जा सकती थी । इस प्रकार इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा स्वेच्छा से प्रशमन का विकल्प लेने के कारण यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है ।

8. बहस के समय विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से यह कथन किया गया कि अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा डिटरमिनेशन आदेश दिनांक 4.1.1.2006 में भी यही कहा गया है कि किसी माल पर प्रथम बिन्दु पर कर चुकाने के पश्चात उत्तरोत्तर विक्रय कर योग्य नहीं होगा, से भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की कर देयता नहीं बनती है।

विद्वान आयुक्त महोदय के समक्ष डिटरमिनेशन हेतु यह प्रश्न था कि :-

“व्यवहारी की ओर से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे बाद में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 40 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा मैसर्स किरन ज्वैलर्स, जयपुर के बिल नम्बर 1620 दिनांक 20.07.2004 द्वारा स्वर्ण बुलियन क्रय किया है विक्रेता व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत जारी कम्पोजीशन स्कीम फॉर बुलियन एण्ड सर्राफा डीलर, 1999 के तहत एक मुश्त कर जमा करवाता है और प्रार्थी द्वितीय व्यवसायी है क्या उन्हें कर चुका माल के रूप में लाभ मिलेगा।”

विद्वान आयुक्त महोदय ने इस सम्बन्ध में निर्णय पारित किया है :-


“उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी माल पर प्रथम बिन्दु पर कर चुकाने के पश्चात उत्तरोत्तर बिक्री कर योग्य नहीं होगी। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने साईकिल हाट ऑफ जयपुर बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू(1979) 44 एस.टी.सी. 401 के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्माता द्वारा उत्पादित माल प्रथम बिक्री के समय यदि कर मुक्त है तो आगामी विक्रय बिन्दुओं पर कर का दायित्व नहीं बनता है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत आने वाले व्यवसायी से क्रय किया गया स्वर्ण बुलियन कर योग्य नहीं है, इसे कर चुका माना जावेगा।”


उपरोक्त डिटरमिनेशन आदेश से स्पष्ट है कि यदि किसी माल पर प्रथम बिन्दु कर चुका दिया जाता है तो आगामी विक्रेता पर कर देयता नहीं बनती है परन्तु इस डिटरमिनेशन आदेश में आगामी विक्रेता द्वारा ऐसी कम्पोजीशन विकल्प लिये जाने का उल्लेख नहीं है जबकि इस प्रकरण में आगामी विक्रेता अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कम्पोजीशन विकल्प के रूप में लिया हुआ है। अपीलार्थी ने एक बार कम्पोजीशन का विकल्प ले लिया है इसलिए इस प्रकरण में यह डिटरमिनेशन आदेश लागू नहीं होता है। साथ ही इस आदेश के प्रकाश में भी अपीलार्थी व्यवहारी को कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि जैसा कि पैरा 6, 7 में स्पष्ट किया जा चुका है कि यह विवाद का बिन्दु नहीं है कि गोल्ड बुलियन प्रथम विक्रय पर चुकता होने के बाद पश्चातवर्ती विक्रय पर कोई कर देयता बनती है या नहीं, बल्कि स्पष्ट है कि कर देयता नहीं बनती परन्तु मुख्य बिन्दु यह है कि एक बार प्रशमन विकल्प लेने पर उसे वित्तीय वर्ष के बीच विद-झा नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रशमन का विकल्प कर प्रणाली की अन्य औपचारिकताओं के बदले में लिया जाता है ताकि सर्वे, लेखा

जोखा आदि की सगरया का सामना नहीं करना पड़े। प्रशमन का विकल्प लेने के समय भी व्यवहारी गोल्ड कहीं से भी क़य करने हेतु स्वतंत्र था, बाद में विद-झा करना पश्चातवर्ती नफा-नुकसान की सोच मानी जावेगी। इस प्रकार अपीलार्थी का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

9. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हैकि अपीलार्थी द्वारा स्वेच्छा से प्रशमन विकल्प ले लिये जाने के कारण वह विदझा नहीं किया जा सकता है। अतः उसे तदनुसार विधिक प्रावधानों के अनुसार कर देयतता का दायित्व बनता है। परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष